यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजु शर्मा , आर.ए.एस.

दिनांक 10–06–2021

प्रकरण संख्या–88 / 2019

उनवान

1. उंकारलाल पिता गोमाजी भांबी उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0) ....वादी

।। बनाम ।।

1. श्री डाडमचंद पिता उदयलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
2. श्रीमति सीता देवी पत्नि डाडमचंद खटीक उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
3. श्री नंदलाल पिता नाथूलाल जटिया उम्र वयस्क निवासी उपरेडा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
4. श्री रतनलाल पिता मोतीलाल मेघवाल उम्र वयस्क निवासी पीपलवास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
5. तुलसी बाई पत्नी रतनलाल जटिया उम्र वयस्क निवासी बानसेन तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)
6. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़ ....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री उमेश आगाल वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया–

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम बानसेन पटवार बानसेन की आराजी नम्बर 1665 रकबा 0.15 हैक्टैयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा जो दर्ज रेकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 संलग्न वाद पत्र है।
2. यह कि उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 तक की संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जिसका बाई मिट्स एंड बाउण्ड्स में विभाजन नहीं हुआ है और पक्षकारान आपसी सहमति व सुविधा से अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज है किंतु सीमा संबंधी छोटे मोटे विवाद होते रहते है जिससे अब इस आराजी को सामलाती में रखना संभव नहीं है और विभाजन करा कर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी वादी अपना 1/4 हिस्सा अलग कराना चाहता है।
3. यह कि आराजीयात के सबंध में उक्त न्यायालय में प्रकरण 87/2015 भी चला जिसमें पूर्व में रेकार्ड में [illegible] 2 दिनांक 27.07.2015 बंटवाडा होने से वादी द्वारा उक्त वाद विड्रो कर लिया गया, लेकिन ना[illegible] वर्तमान में के द्वारा उक्त आराजी को पुनः शामिल कर पूर्व बंटवाडे के आदेश को निरस्त [illegible] उक्त आराजी का बंटवाडा उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिस्सेदारी में दर्ज [illegible] कराने हेतु वाद पत्र वादी प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

4\. यह कि प्रतिवादीगण को दिनांक 10.06.2019 को आराजीयात की आपसी सहमति से हिस्से अनुसार विभाजन कराने को कहा पर वह टालमटोल करने लगे और सहमति नहीं दी, जिससे आराजी के विभाजन हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत करना आव यक हुआ है जिससे लिए बिनाय दावा दिनांक 10.06.2019 से शुरू होता है जो प्रतिदिन जारी है।

अतः प्रार्थना है कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आराजी के विभाजन की डिक्री प्रदान की जाकर ग्राम बानसेन पटवार हल्का बानसेन की आराजी नम्बर 1665 रकबा 0.15 हैक्टैयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा का बटवाडा कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवदीगण की और से कोई उपस्थित नहीं एवं प्रार्थी रतनलाल पिता मोती मेघवाल एवं तुलसी बाई पत्नी रतनलाल जटिया की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनाये जाने का प्रस्तुत किया, जो स्वीकार किया जाकर रतनलाल एवं तुलसी बाई को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के रूप में पक्षकार कायम किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई जिन्होने वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखुबी साबित कराया की ग्राम बानसेन पटवार हल्का बानेसन के वर्तमान खाता संख्या 517 पर दर्ज आराजी नम्बर 1665 मी. रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का बटवाडा किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है, कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृशि आराजीयात में वादी का 1/4 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 रतनलाल का 13/300 एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा एवं शेष हक हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज रेकार्ड है। उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/–रू अक्षरे एक हजार रुपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:49:20 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर